

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 47/2016 ::

प्रार्थी :-

श्रीमती शरीफन पुत्री नूर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी लोहारों का बास, ग्राम रोहट, तहसील रोहट जिला पाली हाल मुकाम शिफत हुसैन कॉलोनी, रामबाग की पीछे, महामन्दिर जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. श्रीमती हुरमत पत्नी नूरमोहम्मद उम्र बालिग, मुसलमान निवासी ग्राम रोहट तहसील रोहट जिला पाली
2. बुन्दु खां पुत्र नूर मोहम्मद उम्र बालिग जाति मुसलमान निवासी ग्राम रोहट तहसील रोहट जिला पाली
3. दीन मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद उम्र बालिग जाति मुसलमान निवासी ग्राम रोहट तहसील रोहट जिला पाली
4. अयूब खां पुत्र नूर मोहम्मद उम्र बालिग, जाति मुसलमान निवासी ग्राम रोहट तहसील रोहट जिला पाली
5. मैमूनी पुत्री नूर मोहम्मद उम्र बालिग जाति मुसलमान निवासी ग्राम रोहट, तहसील रोहट जिला पाली
6. बिस्मिल्लाह पुत्री नूर मोहम्मद पत्नी मोहम्मद हनीफ उम्र बालिग जाति मुसलमान निवासी ग्राम रोहट, तहसील रोहट जिला पाली हाल मुकाम नागौरी गेट, पुलिस चौकी के सामने जोधपुर
7. जन्नत पुत्री नूर मोहम्मद पत्नी बुन्दु खां उम्र बालिग जाति मुसलमान निवासी ग्राम रोहट तहसील रोहट जिला पाली हाल मुकाम छोटी मस्जिद के पीछे, बम्बा मोहल्ला जोधपुर
8. ग्राम पंचायत रोहट जरिये सरपंच रोहट, पंचायत समिति रोहट
9. ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत रोहट पंचायत समिति रोहट



पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता अनुपस्थित


अप्रार्थी संख्या 1 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित उपस्थित

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 22.01.2018

प्रार्थियों की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, रोहट के मिसल संख्या 03/2010-11 दायर दिनांक 05.06.2010, संकल्प संख्या 05 दिनांक 02.10.2010 एवं उसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 28 दिनांक 21.09.2011 को निरस्त कराये जाने हेतु पेश किया। प्रार्थियों का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया जाकर ग्राम पंचायत से रेकार्ड तलब किया गया।


अधिवक्ता प्रार्थियों लम्बे समय से सुनवाई तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं रहने से बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण सूनी गई तथा गुणावगुण पर निर्णय के लिए पत्रावली का भी अवलोकन किया गया।

  
जिला कलेक्टर  
पाली (राज.)

क्रमशः:2

प्रस्तुत निगरानी में प्रार्थिया निगरानीकर्ता की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थिया की एक पुश्तैनी जायदाद ग्राम रोहट तहसील रोहट जिला पाली में आया हुआ है। जिसमें प्रार्थिया 1/3 हिस्से की हकदार है। जिसके पडोस उत्तर में आम रास्ता नेशनल हाईवे 65, दक्षिण में रोहट गढ़ का प्लॉट, पूर्व में भंवरी देवी पुत्री पुखराजजी सोनी का प्लॉट और पश्चिम में गली रास्ता है। उक्त जायदाद बनाप उत्तर भुजा 22 फुट दक्षिण भुजा 22 फुट, पूर्वी भुजा 30 फुट एवं पश्चिम की भुजा 30 फुट है। कुल क्षेत्रफल 675 वर्गफुट (60.936 वर्ग मी.) है। प्रार्थिया के भाई दीन मोहम्मद व बुन्दु खां ने ग्राम पंचायत से मिली भगत कर पुश्तैनी जायदाद को आपस में बांटकर चार पट्टे, पट्टा संख्या 28, 29, 30 व 31 नूर मोहम्मद व हुरमत के नाम से जारी करवा दिए। जैर निगरानी पट्टा संख्या 28 नूर मोहम्मद पुत्र निजाम खां के नाम से विधि विरुद्ध प्रक्रिया अपनाकर जारी करवाया। जो काबिल निरस्त है। पट्टा संख्या 28 दिनांक 21.09.2011 प्रार्थिया के पिता नूर मोहम्मद के नाम से जारी किया गया। नूर मोहम्मद की मृत्यु दिनांक 09.12.2013 को हो गई। जिसके विधिक वारिशन मृतक पत्नी हुरमत, तीन पुत्र कमशः बुन्दु खां, दीन मोहम्मद व अयुब खां तथा चार पुत्रियां भेमूनी, बिस्मिलाह, जन्नत व प्रार्थिया शरीफन है। जिससे पट्टा संख्या 28 की भूमि में प्रार्थिया के साथ अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 हकदार है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत रोहट द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 नियमों के प्रतिकूल जाकर जारी किया गया है। जो काबिल निरस्त है। पट्टागृहिता द्वारा ग्राम पंचायत में कोई आवेदन पत्र पेश नहीं किया गया, न ही फीस जमा कराई गई, न नक्शा फीस जमा कराई गई। नियम 146 के तहत तीन वार्ड पंचों की कमेटी मौका निरीक्षण हेतु गठित नहीं कि गई। नियम 147 के तहत पट्टा जारी करने बाबत कोई अन्तरिम निर्णय नहीं लिया गया है तथा नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति इस्तिहार जारी नहीं किया गया। उपरोक्त सभी प्रावधान आज्ञापक है। जिनकी पालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई है। नियम 157 के तहत 50 वर्ष से अधिक पुराने घर पर कब्जा मानकर पट्टा जारी किया गया है। लेकिन अप्रार्थीगण का पचास वर्षों से जैर निगरानी भूमि पर किसी तरह का कोई कब्जा नहीं था। इस प्रकार पुश्तैनी भूमि का पट्टा फर्जीवाडा व नियमों की अवहेलना कर जारी किया गया है। जो खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा नूर मोहम्मद पुत्र निजाम खां के नाम जारी किया गया है। जो उनकी स्वयं की कब्जासुद भूमि थी जो प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 2 से 7 के पिता है एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पति है। उक्त पट्टा संख्या 28 दिनांक 21.09.2011 को जारी किया गया। जिस बाबत मिसल संख्या 3/2010-11 कायम की गई। इस बाबत प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 09.06.2010 आवेदन प्रस्तुत करने बाबत लिया जाकर मिसल कायम की गई एवं सचिव को नक्शा बनाने हेतु आदेश दिए गए। तत्पश्चात प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 26.07.2010 को सचिव द्वारा जैर निगरानी भूखण्ड का नक्शा पेश किया गया एवं मौका निरीक्षण हेतु उपसरपंच एवं दो वार्ड पंचों की कमेटी का गठन किया गया। प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 12.08.2010 लिया जाकर कमेटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं सचिव द्वारा बनाए गए नक्शा जो पूर्व में पेश है, का मिलान किया गया। कमेटी ने पुराना कब्जा होना बताया। इस कारण पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने बाबत एक माह का आपत्ति इश्तियार जारी करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया। दिनांक 16.09.2010 प्रस्ताव संख्या 4 के द्वारा दो-दो गवाहों के बयान लिए गए जिसमें उन्होंने पुश्तैनी कब्जा होना बताया एवं प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 02.10.2010 एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया गया एवं बाद व्यतीत होने अवधि किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टागृहिता का पुराना कब्जा होना मानकर पुराने कब्जे के आधार पर जैर निगरानी भूमि का विक्रय विलेख 200/-

  
जिला कलेक्टर  
पाली (राज.)



रू. में जारी करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा समस्त कार्यवाही नियमानुसार प्रस्ताव पारित कर की गई है। नूर मोहम्मद प्रार्थिया का पिता है एवं उनके जीतेजी प्रार्थिया का हक जैर निगरानी भूखण्ड में नहीं माना जा सकता है। इसलिए प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत निगरानी बिना आधारों के प्रस्तुत किए जाने से खारिज की जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया ने भूमि को पुश्तैनी अपने पिता की व दादा के समय की बताया जैर निगरानी पट्टे के अवलोकन से स्पष्ट है कि पट्टा नूर मोहम्मद पुत्र श्री निजाम खां के नाम जारी किया गया है। जो प्रार्थिया के पिता है एवं पिता के जीतेजी पुत्र/पुत्रियों का हक नहीं माना जा सकता तथा उनके नाम पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा नूर मोहम्मद के हक में जो पट्टा जारी किया गया है। वह विधि सम्मत प्रतीत होता है। प्रार्थिया द्वारा इस प्रकरण में भी अप्रार्थीगण बुन्दुखां, दीन मोहम्मद, ग्राम पंचायत रोहट व ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत रोहट के नाम भी एफ.आई.आर. 65/2017 पुलिस थाना रोहट में पेश की जिस बाबत पुलिस ने प्रकरण में नतीजा आदेश एफ.आर. अदम वकू में स्वीकृत कराने हेतु संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है। न्यायालय सी.जे.एम. कोर्ट पाली में प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी अधिवक्ता अप्रार्थी के कथनानुसार खारिज हो चुका है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी विक्रय विलेख 05.10.2011 उपपंजीयक रोहट के कार्यालय में पंजीकृत किया हुआ है। प्रार्थियां शरीफन पुत्री नूर मोहम्मद जी पत्नी मो. साबिर जाति लुहार मुसलमान द्वारा पट्टा संख्या 28 व 30 दिनांक 21.09.2011 जो नूर मोहम्मद वल्द निजाम खां के नाम से जारी किया गया है। दोनों पट्टों की भूमि का हकतर्कनामा बहक अपने भाई बुन्दु खां एवं दीन मोहम्मद पुत्र स्व. नूर मोहम्मद जी जाति लुहार मुसलमान निवासीगण ग्राम रोहट तहसील रोहट जिला पाली के कर दिया है जिसमें प्रार्थियां के साथ अन्य तीन बहनों के भी हस्ताक्षर है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थिया ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 28 व 30 को वैधानिक दस्तावेज स्वीकार कर हकतर्कनामा बहक अपने दोनों भाईयों के स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में निगरानी को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। ग्राम पंचायत रोहट द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के सभी नियमों की पालना करते हुए की गई कार्यवाही बाबत क्रमशः प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 09.06.2010, प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 26.07.2010, प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 12.08.2016, प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 16.09.2010 एवं प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 02.10.2010 नियमानुसार सर्वसम्मति से पारित कर की गई। जो कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट है तथा विधि सम्मत है। ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त जैर निगरानी पट्टा भूमि से संबंधित पत्रावली न्यायालय में प्रेषित नहीं की है। ऐसी स्थिति में मात्र इस कारण से पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही को प्रश्नगत करने का कोई ठोस आधार नहीं माना जा सकता फलस्वरूप जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 05/2010-11 दायर दिनांक 05.06.2010, संकल्प संख्या 05 दिनांक 02.10.2010 एवं उसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 30 दिनांक 21.09.2011 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत रोहट से प्राप्त मूल रेकॉर्ड प्रेषित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुधीर कुमार शर्मा)  
जिला कलेक्टर, पाली  
पाली (राज.)

